



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2880]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/ श्रावण 4, 1940

No. 2880]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 4, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**का.आ. 3664(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 16) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 428/03/2016-एवीडी-IV(बी)]

श्रीनिवास आर. कटिकीथला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**S.O. 3664(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 (16 of 2018), the Central Government hereby appoints the 26<sup>th</sup> day of July, 2018, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 428/03/2016-AVD-IV(B)]

SRINIVAS R. KATIKITHALA, Jt. Secy.